भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2019

02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष उपचार की सुविधाएं

2019. श्री राजीव राय:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त आयुष उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार पुरानी बीमारियों में इसकी प्रभावशीलता तथा एलोपैथी की तुलना में इसकी वहनीयता के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष उपचार सुविधाएँ प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में आयुष औषधालयों और सह-स्थापित आयुष इकाइयों के माध्यम से प्रदान की जा रही आयुष उपचार सुविधाओं का विवरण **संलग्नक** पर दिया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान इन आयुष उपचार सुविधाओं के लिए उन्हें 2765.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ग): एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय, आयुष औषधालयों के उन्नयन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के संचालन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना और आयुष औषधालयों को आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति के साथ-साथ पीएचसी और सीएचसी में आयुष इकाइयों की सह-स्थापना जैसी विभिन्न गतिविधियों के तहत, वित्तीय सहायता प्रदान करके उत्तर प्रदेश में इन सुविधाओं को बढ़ाने और विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। तदनुसार, राज्य सरकार एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, एसएएपी के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

(घ): आयुष मंत्रालय एनएएम के तहत, निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है:-

i. आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों, जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) नाम से जाना जाता है, का संचालन
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन

iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/ नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण

v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना

vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति

vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम

viii. व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी)

ix. राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता सहायता

x. आयुष ग्राम

xi. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है

xii. आयुष स्नातक संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी कार्यान्वित करता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुँचना है और इस योजना के तहत, मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर आरोग्य मेले, योग फेस्ट/उत्सव, आयुर्वेद पर्व आयोजित करता है, आयुर्वेद दिवस सहित आयुष पद्धतियों के महत्वपूर्ण दिवस मनाता है, स्वास्थ्य फेयर्स/मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेता है, सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और मल्टीमीडिया अभियान आदि चलाता है।

*****

संलग्नक

(i) 01.04.2022 तक आयुष औषधालयों की राज्य-वार/पद्धति-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	योग	प्राकृतिक चिकित्सा	होम्योपैथी	सोवा-रिग्पा	कुल
1	आंध्र प्रदेश	373	92	0	0	25	245	0	735
2	अरुणाचल प्रदेश	38	1	0	0	0	133	2	174
3	असम	524	0	0	0	0	87	0	611
4	बिहार	799	333	0	0	0	458	0	1590
5	छत्तीसगढ़	956	26	0	0	0	112	0	1094
6	दिल्ली	49	22	0	0	0	109	0	180
7	गोवा	140	0	0	0	0	67	0	207
8	गुजरात	579	0	0	0	0	273	0	852
9	हरियाणा	625	23	0	18	0	164	0	830
10	हिमाचल प्रदेश	1185	3	0	0	0	14	4	1206
11	जम्मू-कश्मीर	311	267	0	0	0	16	0	594
12	झारखंड	305	115	0	1	0	213	0	634
13	कर्नाटक	7432	89	1	0	22	97	0	7641
14	केरल	1041	16	34	0	1	1078	0	2170
15	मध्य प्रदेश	1496	64	0	0	0	213	0	1773
16	महाराष्ट्र	462	24	0	0	0	0	0	486
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	1	0	1
18	मेघालय	39	0	0	2	0	54	0	95
19	मिजोरम	1	0	0	0	0	20	0	21
20	नागालैंड	10	0	0	2	0	34	0	46
21	ओडिशा	620	9	0	0	0	562	0	1191
22	पंजाब	672	34	0	1	0	225	0	932
23	राजस्थान	3582	262	0	0	3	249	0	4096
24	सिक्किम	1	0	0	0	0	10	0	11
25	तमिलनाडु	101	65	790	174	0	108	0	1238
26	त्रिपुरा	37	0	0	0	0	73	0	110
27	**उत्तर प्रदेश**	**2112**	**73**	**0**	**0**	**0**	**1576**	**0**	**3761**
28	उत्तराखंड	412	2	0	0	0	148	0	562
29	पश्चिमी बंगाल	545	6	0	12	0	2105	0	2668
30	अंदमान एवं निकोबार द्वीप	13	0	0	6	0	18	0	37
31	चंडीगढ़	14	2	0	0	0	17	0	33
32	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	10	0	0	0	0	10	0	20
33	लद्दाख	3	9	0	0	0	1	34	47
34	लक्षद्वीप	9	0	0	0	0	9	0	18
35	पुडुचेरी	28	0	26	4	0	17	0	75
36	तेलंगाना	423	184	0	0	28	199	0	834
	कुल	**24947**	**1721**	**851**	**220**	**79**	**8715**	**40**	**36573**

स्रोत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं संबंधित एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार।

(ii) सह-स्थापित आयुष सुविधाओं की राज्य-संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (31.12.2023 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सीएचसी	पीएचसी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	105	273	378
2	अरुणाचल प्रदेश	34	50	84
3	असम	110	364	474
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	98	454	552
6	गोवा	6	22	28
7	गुजरात	0	868	868
8	हरियाणा	97	109	206
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10	झारखंड	188	97	285
11	कर्नाटक	76	376	452
21	केरल	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	99	286	385
14	महाराष्ट्र	238	20	258
15	मणिपुर	17	78	95
16	मेघालय	24	55	79
17	मिजोरम	9	10	19
18	नागालैंड	20	9	29
19	ओडिशा	302	858	1160
20	पंजाब	72	100	172
21	राजस्थान	52	147	199
22	सिक्किम	1	4	5
23	तमिलनाडु	388	475	863
24	तेलंगाना	42	352	394
25	त्रिपुरा	21	84	105
26	उत्तराखंड	53	44	97
27	**उत्तर प्रदेश**	**666**	**627**	**1293**
28	पश्चिमी बंगाल	280	368	648
29	अंदमान एवं निकोबार द्वीप	4	20	24
30	चंडीगढ़	2	6	8
31	दादर और नागर हवेली व दमण और दीव	4	9	13
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	0	0
33	जम्मू-कश्मीर	13	372	385
34	लद्दाख	7	32	39
35	लक्षद्वीप	3	4	7
36	पुडुचेरी	4	39	43
कुल		**3035**	**6612**	**9647**